THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Yes, Sir.

(b) No tests in respect of quality of bearings are done at the time of import.

(c) and (d) Ball and Roller Bearing are chargeable to varying rates of basic customs duty ranging from Rs. 25 per bearing to 110% ad valorem in terms of Notification No. 70/89-Cus. dated 01-03-1989 as amended. All Ball and Roller Bearings are exempted from auxiliary duty with effect from 30-4-1992. Raw materials for the manufacture of bearings attract duty at varying rates not exceeding 110% depending on the classification under the Customs Tariff. The rate of countervailing duty is 23% *ad valorem* on imported bearings. The bearings manufactured indigenously are also leviable to excise duty @ 23% ad valorem.

In the wake of reports of large scale under-invoicing of imports of ball and roller bearings after the Budget 1992-93, the Government has prescribed specific rates or specific-cum *ad valorem* rates for majority if ball and roller bearings with effect from 30-04-1992.

Indo-Singapore Trade Corridors

679. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether any proposal to set up Indo-Singapore Trade Corridors in India was discussed ;

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) what are the details of areas under consideration for the said proposal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) to (c) A proposal to set up an Indo-Singopore Industrial Corridor has been discussed with the Government of Singapore. The proposal is aimed at attracting investment by Singapore companies in joint ventures in selected sectors and the development and upgradation of infrastructure facilities. Individual Singapore companies would take a decision for investment in such a corridor on commercial considerations.

The Governments of Andhra Pradesh and Tamilnadu and the Union Territory of Pondicherry have offered facilities for locating such a corridor. This has been conveyed to the Singaporean authorities.

Issue of Import and Export licences

680. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what is the number of Import and Export licences issued after the liberalisation of Economy ;

(b) what is the number of companies in India which are making export worth over Rs. 14 crores per year ; and

(c) what are the names of such Export houses together with the value of export thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) The number of Import and Export Licences issued from July, 1991 to March 1992, excluding Exim Scrips, is 48,440 and 563 respectively.

(b) The data relating to the companies which are making exports is not maintained.

(c) The names of Members Exporters of Federation of Indian Export Organisation and their export value for the year, 1990-91 and 1991-92 is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXII, Annexure No. 10].

जी० आई० पाइपों के लिए दर संविदा

681. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री 10 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1754 के

दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० आई० पाइप की दर संविदा की घोषणा कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक इसकी घोषणा न किये जाने के क्या कारण हैं और यह घोषणा कब तक कर दी जायेगी;

(ग) वर्ष 1989-90 में जी० आई० पाइप की दर-संविदा की तुलना में दिनांक 26 मार्च, 1991 की नई दर संविदा में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1990-91 में जी० आई० पाईप की दर संविदा बहुत कम थी और इसका प्रभाव इसकी आपूर्ति पर पड़ा था;

(ङ) दिनांक 26 मार्च, 1991 की दर संविदा की तुलना में 20 अप्रैल, 1992 को जी० आई० पाइप की पुनः प्राप्त हुई दर संविदा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(च) कम्पनियों को अपनी दरों में वृद्धि करने की कितनी बार अनुमति दी गई थी; और

(छ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनियों को पुनः अपनी दरों में 20 अप्रैल, 1992 को प्राप्त हुई नई दरों से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। मैसर्स टिस्को, के साथ तय की गई पूर्व दर संविदा के अलावा अभी तक आगे कोई भी दर संविदा तय नहीं की जा सकी है।

(ख) अन्य जिन फर्मों ने एक पूल के रूप में दरें प्रस्तुत की हैं, उनके साथ अभी तक दर संविदा तय नहीं की जा सकी है क्योंकि मैसर्स टिस्को जिनके साथ पहले ही एक दर संविदा तय की गई है, की न्यूनतम दरों की तुलना में इनकी दरें अधिक हैं। दरों को कम कराने के उद्देश्य से बातचीत के कई दौर किये गए हैं और दर संविदाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) और (ङ) जी० आई० पाइपों के विनिर्माण में स्टील तथा जिंक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनके मूल्यों में परिवर्तन होने की स्थिति में दर संविदा में मूल्य परिवर्तन का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 1989-90 के लिये दर संविदाओं के तय करने के बाद भुगतान इस वृद्धि प्रावधान, जहां लागू है, के अनुसार किये जाते हैं। दिये गए विवरण (**नीचे देखिए**) में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989-90 के लिये दर संविदा के तहत देय मूल्य निर्दिष्ट किये गये हैं। मैसर्स टिस्को द्वारा दिनांक 26-3-91 को कोट किये गये दर वर्ष 1989-90 की दर संविदा के बढ़े हुए मूल्यों के अन्तर्गत थे। विवरण में अन्य कम्पनियों द्वारा दिनांक 26-3-91, 20-4-91 को कोट किये गये रिंग मूल्य तथा प्रतिशत वृद्धि भी निर्दिष्ट है।

[**देखिए** परिशिष्ट 163, अनुदेश सं० 18]

(घ) वर्ष 1990-91 के लिये दर संविदा मूल्य वर्ष 1989-90 की दर संविदा मूल्यों की तुलना में कम थे। तथापि, कुल 70,000 मी० टन के अनुमानित वार्षिक आहरण के लिये फर्मों ने 52,000 मी० टन० की न्यूनतम मात्रा की पूर्ति करना स्वीकार कर लिया है।

(च) तथा (छ) एक बार दर संविदा तय होने पर कम्पनियों को, वृद्धि सूत्र के अनुसार वृद्धि को छोड़कर, अपनी दरें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

Promotion for Export of Software

682. SHRI S. K.T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what steps have been taken by Government to promote Software export; and